## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-27/2024-Estt. (RCT)स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29 दिनांक/Dated ↑ 0 007 200

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्ली में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद पर पदोन्नति। Subect:- Promotion to the post of Medical Record Officer at the AIIMS, New Delhi.

1. दिनांक 16.09.2025 को मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद हेतु विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्निलिखित जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर को वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल-6 के अन्तर्गत मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नित किया जाता है। उनकी पोस्टिंग का स्थान नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। जिसकी पदोन्नित एन.सी.आई झझर के निधारित पद पर हुई है, वह इस कार्यालय आदेश की जारी होने की तिथि से एन.सी.आई झझर में 10 दिनों के अंदर पदभार ग्रहण करें, यदि वह निधारित समय के अंदर एन. सी. आई., झज्जर में पदभार ग्रहण नहीं करते है, तो माना जाएगा कि वह पदोन्नित को अस्वीकार करते है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Medical Record Officer held on 16.09.2025 and its acceptance by the Competent Authority, following Junior Medical Record Officer are promoted to the post of Medical Record Officer in Level-6 in the pay matrix from the date they assume the charge of the post Medical Record Officer at their respective place of posting reflected in the table below. The incumbent promoted to the post of MRO against the post meant for NCI Jhajjar is required to join the post of MRO at NCI Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order failing which it will be presumed that he has denied his promotion.

Sr. No.	Name	Category	Against Category of post	Present Deptt.	Place of Posting
1.	Sh. Rajan Kumar	UR	UR	CNC (Cardio)	NCI Jhajjar
2.	Sh. Ashish Kumar	UR	UR	EHS	EHS

2. यदि, वह एन. सी. आई., झज्जर में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद पर पदभार ग्रहण करने में मना करते हैं /असफल होते हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद पर उनकी पदोन्नित को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के निदेशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नित के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अविध या अगली रिक्तियां आनें तक उनकी पदोन्नित पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी बाद में।

In case, the promoted official do not join NCI, Jhajjar on promotion against the post created for NCI, Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order in respect of such incumbent would be treated as cancelled/withdrawn. Accordingly as per DOP&T instruction on this subject he will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises, whichever is later.

3. हालाँकि, उनकी विरष्ठता मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद पर विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात 16.09.2025 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Medical Record Officer will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 16.09.2025.

4. वह दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई.,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भतों के हकदार होंगे।

जारी/Condt..



They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Balladhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future.

5. उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हें आंशोधित आश्वस्तित वृति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृति प्रगति योजना के अंतर्गत वेतन पे. मैट्रिक्स लेवल-5 प्रदान नहीं किया जायेगा

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22 (1), if applicable, either from the date of their actual promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided they have not been granted Level-6 in the Pay Matrix under ACP/MACP Scheme.

6. उनकी सेवा वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता हैं।

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

7 यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connected matters pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

8. उनकी सेवा की अन्य शर्ते जो कि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी। Other terms and condition of their services will be the same as are applicable to other employees of the Institute

(सी. जी. सत्यन / C. G. SATHYAN)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी / ASSTT.ADMINISTRATIVE OFFICER

## संबंधित व्यक्ति/ The persons concerned

द्वारा/Thr .:- उनके संबंधित चीफ़/ विभागाध्यक्ष, अस्प./ सी.एन.सी

Their Officer-in Charge, Hosp./CNC (Cardio)

## प्रतिलिपिः

- 1 चिकित्सा अधीक्षक, अस्पताल/ एन.सी.आई.झज्जर,दिल्ली,/सी.एन.सी /Medical Supdt.,Hospital/NCI Jhajjar/CNC
- 2 मुख्य विभागाध्यक्ष/ एन.सी.आई.झज्जर,दिल्ली/ सी.एन.सी /HOD, NCI, Jhajjar, Delhi/ Hospital /CNC (Cardio)
- 3 प्रशासनिक अधिकारी, अस्प /एन.सी.आई झझर/ सी.एन.सी /Admn. Officer, Hospital/ NCI Jhajjar /CNC
- 4 स्थापना अनुभाग (अस्प.)/ एन.सी.आई झझर /Establishment Section, Hospital/ NCI Jhajjar/ CNC
- 5 लेखा विभाग, ।। एवं।।। / एन.सी.आई झझर/Accounts Section- II & III / NCI Jhajjar./CNC
- 6 जी.पी.एफ./संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल/ई.एच एस. GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell/EHS Cell
- 7 एस.सी.विभाग/एस.टी विभाग/सतर्कता विभाग/लीगल सेल SC/ST Cell/Vigilance Cell
- 8 डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबंधित सहायक Dealing Assistant, Recruitment Cell
- 9 प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें। Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website.